

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 11.05.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मनीष पुत्र जोगेन्दर नि० संझवल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-230/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. पूजाराम सोनकर पुत्र स्व० रामप्रकाश नि० उत्तर वैनिया थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 214/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. झुन्नीलाल पुत्र हजारी नि० बढईपुरवा मौजा गौरवा कानूनगो थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 143/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.05.2023

नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० करनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर चचरी रोड से गुमदाह जाने वाले मोड के पास से अभियुक्त विजय दुबे को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 180 गोली अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० करनैलगंज में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विजय दूबे पुत्र राम अचल नि० सेमरी थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-249/23, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 180 गोली अल्प्राजोलम।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० सुनील कुमार तिवारी मय टीमा।